न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 85/2016

1. राजेश्वरी पत्नी इन्द्राज
2. तारादेवी
3. सरोज
4. रूपरेखा
5. रूबीना
6. दिलावर
7. विमल

पुत्रिया/पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासीगण निरवाणा तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

– अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरबती पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. विद्या
3. हनुमान
4. कालु

पुत्र/पुत्रिया पृथ्वीराज जाति जाट निवासी फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

5. रामप्यारी पत्नी श्योपतराम जाति जाट निवासी 2 के.एस. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।
6. निर्मला
7. सुनीता
8. नीलम
9. विमला
10. बिरमा
11. जसंवत
12. विजयसिंह
13. राजीव

पुत्रिया एवं पुत्रगण श्योपतराम जाति जाट निवासीगण 2 के एस. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

14. सीतादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी 24 पीबीएन (बी) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

15. बबीता
16. संगीता
17. भागवती
18. कविता
19. इन्द्रा

पुत्रियां कृष्णलाल जाति जाट निवासी 24 पीबीएन (बी) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

20. रामप्यारी पुत्री रामचन्द्र पत्नी जयनारायण जाति जाट निवासी गोलुवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

21. रेवती पुत्री रामचन्द्र पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी 40 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

22. संतोष पुत्री रामचन्द्र पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।

23. उप–पंजीयक सूरतगढ़।

24. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ ।

—— रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 18.04.2016

उपस्थितिः–

श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक अपीलांट

श्री राजेन्द्र शर्मा अभिभाषक रेस्पो.

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 31.10.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/ वादीगण/ अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रा.पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की

31/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वो चक 1 एन.आर.डी. के प.नं. 84/310 के 6.325है0 व प.नं. 85/310 व 84/311 की 3.670है0 में प्रार्थीगण का 6/7 हिस्सा में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करे एवं रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरण नहीं करें तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति बनाई रखी जावे।

अप्रार्थी सं. 2 , 3 व 14 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 18.04.2016 को प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलांट्स के कब्जा काश्त में चली आ रही है। रेस्पों. का इस भूमि में कोई हक नहीं बचा। अधी. न्यायालय ने धारा 212 आर.टी.एक्ट के किसी भी बिन्दु पर कोई निर्णय पारित नहीं किया। अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र पेश करने पर दिनांक 16.08.2008 को प्रार्थीगण के पक्ष में एकतरफा आदेश पारित किया गया था। अपीलांट का हर प्रकार से मामला बनता था फिर भी अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज कर दिया। यदि वाद के निर्णय से पूर्व विवादित भूमि का रहन, बैय आदि द्वारा हस्तांतरण हो जाता है तो वादीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट का धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि किसी भी प्रकार से बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण ने प्रा.पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं वे स्वीकार योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध पेश हुई जिसमें अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र

31/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सारहीन होने से खारिज किया है, जो नियम विरूद्ध होने से निर्णय निरस्त करने का अनुतोष चाहा जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश का कियान्वित भाग है कि " कानून सम्मत स्वामित्व एवं कानून सम्मत कब्जा अप्रार्थीगण का होने की स्थिति में सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के हक में अंश मात्र भी साबित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए के तथ्यों की पूर्ति नहीं करता है। Waste, Damage, Alientionation का कोई आरोप अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है"। इस सम्बन्ध में राज. काश्त.अधि.1955 की धारा 212 के आज्ञापक (Mandatory) प्रावधानों में तीन governing principles दर्शाये हैं। (1) प्रथम दृष्टया केस (2) अपरिमित क्षति व सुविधा का संतुलन का विवेचन Mandatory है। परन्तु अधी. न्यायालय ने मात्र सुविधा के संतुलन का जिक्र किया है विवेचन नहीं। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा.पत्र के निर्णय में एक या दो नहीं तीनों guiding principles का विवेचन जरूरी है जो नहीं किया, साथ ही अधी. न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड को आधार मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र खारिज किया है बाबत अपील अपीलांट ने न्याय सिद्धांत आर.आर.डी. 2006 जीवाराम बनाम रूकमा पेज 761 व आर.बी.जे. 2006 पेज 21 जगदीश कुमार बनाम बसों में held हुआ है कि " Temperory Injunction can be granted against khatedar tenant"

प्रकरण हाजा में दावे के गुणावगुण में पारिवारिक बंटवारा जिसमें विवादित भूमि अपीलांट के कब्जे में होकर अनुतोष का दावा अधी. न्यायालय में लम्बित है जिसका विवेचन भी अपीलाधीन आदेश में नहीं हुआ है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि चक 1 एन.आर.डी. के प.नं. 84/310 के 6.325है0 व प.नं. 85/310 व 84/311

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की 3.670है0 में प्रार्थीगण का 6/7 हिस्सा की भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे एवं रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरण नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर